# हरद्विार में पंचायत चुनाव पर वैधानकि संकट

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरद्विार ज़लि में त्रस्तिरीय पंचायत चुनाव को लेकर वैधानकि संकट खड़ा हो गया है। पंचायतीराज एक्ट में संशोधन के बाद प्रशासकों का कार्यकाल छह माह और बढ़ाने के बाद भी वहाँ चुनाव की स्थतिनिहीं बन पा रही है। राज्य गठन के बाद त्रस्तिरीय पंचायत चुनाव को लेकर ऐसी स्थतिपहली बार बनी है।

## प्रमुख बदिु

- प्रदेश में हरद्विार ऐसा ज़लिा है, जहाँ त्रस्तिरीय पंचायतों के चुनाव अन्य ज़लिों के साथ नहीं हो पाते। राज्य गठन के बाद से ही यह क्रम बना हुआ है।
- यहाँ पंचायतों का गठन अन्य ज़लिों से सालभर बाद होता है। इसी के चलते अक्टूबर 2019 में हुए पंचायत चुनावों में हरद्विार में चुनाव नहीं हो पाए थे। हरद्विार में पछिले पंचायत चुनाव वर्ष 2015 के आखरि में हुए थे। तब वहाँ 29 मार्च, 2016 को ग्राम पंचायतों, 16 मई को ज़लिा पंचायत और 10 जून को क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक के साथ ही पंचायतों का पाँच साल का कार्यकाल शुरू होता है, जो पछिले वर्ष खत्म हुआ।
- उत्तराखंड पंचायतीराज एक्ट, 2016 के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से 15 दनि पहले तक चुनाव न होने की स्थतिमें उन्हें छह माह तक प्रशासकों के हवाले कयिा जा सकता है। इस क्रम में मार्च से हरद्विार ज़लि में त्रस्तिरीय पंचायतों में प्रशासक नयिुक्त कयि गए। इस अवधकि भीतर भी चुनाव न हो पाने पर सरकार ने पंचायतीराज एक्ट में संशोधन कर प्रशासकों का कार्यकाल छह माह और आगे बढ़ाया।
- हरद्विार की 306 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल आगामी 29 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस अवधमिें भी चुनाव की स्थतिनिहीं बन पा रही है, जसिसे वैधानकि संकट खड़ा हो गया है। यद्यपि, वधिानसभा चुनाव के लयि मतदान संपन्न होने के बाद शासन ने हरद्विार में पंचायत चुनाव की प्रक्रयिा शुरू करने के मद्देनज़र चुनाव आयोग से अनुमतिमांगी थी, लेकनि वह उसे नहीं मलि पाई।
- राज्य के पंचायतीराज सचवि नतिेश झा ने कहा कि हरद्विार ज़लि में पंचायत चुनाव न होने से वैधानकि संकट की स्थतिउत्पन्न हो रही है। इस सलिसलि में महाधविक्ता और न्याय वभिाग से राय ली जा रही है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/statutory-crisis-over-panchayat-elections-in-haridwar